कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–34/2021–283 **दिनांक :–26/3/2021**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली ''स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना'' (अन्य व्यय) के अंतर्गत उच्च गुणवता वाले ग्राफ्टींग पौधों की तैयारी हेतु फलदार पौधों का नर्सरी कार्य का एक वर्षीय कार्य एवं राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत निर्मित पौधशाला का रख–रखाव कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 40.231 लाख (चालीस लाख तेईस हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–06/2021–38/स्वी0 व0प0 दिनांक–25.03.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–06/2021–51/आ0 व0प0 दिनांक–25.03.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–39–स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 40.231 लाख (चालीस लाख तेईस हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101390103	33.837
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101390323	6.394
कुल :–		**40.231**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

उच्च गुणवता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु फलदार पौधों का नर्सरी कार्य हेतु राशि की मांग मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 289 दिनांक–01.07.2020 के अनुसार किया गया है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101390103 तथा 19S240601101390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय वर्ष में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग–NRLM, झारखण्ड के साथ समन्वय किया जाय। NRLM के बिक्री केन्द्रों की मदद PALAS से ली जाय ताकि समेकित बाजार के कारण उत्पाद की पहुँच तथा माँग एवं मूल्य सही एवं समुचित मिल सके।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

12. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

13. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

14. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

15. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना

संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–34/2021–**283 **दिनांक**–26/3/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–34/2021–**283 **दिनांक**–26/3/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/दुमका/ लोहरदगा/ साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत उच्च गुणवता वाले ग्राफ्टींग पौधों की तैयारी हेतु फलदार पौधों का नर्सरी कार्य का प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	10000 उच्च गुणवता वाले ग्राफटींग पौधों की तैयारी हेतु 25000 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	4.546	0.785	5.331
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	20000 उच्च गुणवता वाले ग्राफटींग पौधों की तैयारी हेतु 50000 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	9.092	1.570	10.662
3	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	5000 उच्च गुणवता वाले ग्राफटींग पौधों की तैयारी हेतु 12500 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	2.273	0.393	2.666
4	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	20000 उच्च गुणवता वाले ग्राफटींग पौधों की तैयारी हेतु 50000 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	9.092	1.570	10.662
कुल योग :–			**25.003**	**4.318**	**29.321**

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत निर्मित पौधशाला का रख–रखाव कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कार्य विवरणी	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका	गणेशडीह–1 पौधशाला का रख–रखाव	4.420	1.038	5.458
		गणेशडीह–2 पौधशाला का रख–रखाव	4.414	1.038	5.452
कुल योग :–			**8.834**	**2.076**	**10.910**
सकल योग :–			**33.837**	**6.394**	**40.231**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\Seed Orchard\Advance Work\Seed Orchard (OA)1

6

कार्यालय :– मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची
वन भवन, डोरण्डा राँची - 834002
Phone No. :- 0651-2482306 (O), e-mail :- ccf-research@gov.in

पत्रांकः– 289 दिनांकः– 1/7/20

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
झारखण्ड, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना अन्तर्गत कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना अन्तर्गत कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों का प्रस्ताव अधीनस्थ अंचलों से प्राप्त है जिसे समेकित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

आपका विश्वासी

1/7/2020

मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान, झारखण्ड, राँची।

1	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	2	3	4	5	6
	1. 25,000 पौधों (साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति) की तैयारी हेतु (स्थानीय जंगलों में कम मात्रा में पाये जाने वाले या विलुप्त प्रजाति के पौधें जो साधरणतः झारखण्ड के किसी भी पौधशाला में तैयार नहीं किये जा रहे हैं ऐसे प्रजाति के पौधों के रोपण को बढावा देने के लिए सभी नये प्रजाति जिनके बीज सी0पी0टी0 से प्राप्त किये जाते हैं)	1537.5	3,95,583.38	78,450.00	4,74,033.38
	2. वित्तीय वर्ष 2022–23 मे 5,000 उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु 12,500 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	768.5	1,97,727.37 2.273	39,275.00	2,37,002.37
	शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति के पौधे की तैयारी से संबंधित कार्य (लक्ष्य – 20,000 पौधे)				
	1. 20,000 ट्यूब मे मिट्टी, बालू, खाद को चुरा करना, मिश्रण को ट्यूब में भरना, बेडों में सजा के रखना, बीजों का क्रय, संग्रहण एवं बीज उपचार, बेड में बीजों की बुनाई, पटवन आदि (अग्रीम एवं समापन कार्य)	365	93,910.85	20,000.00	1,13,910.85
	पूर्व से स्थापित लगभग 9 हे0 क्षेत्र में आर्बोरेटम (जिसमें 1000 पौधे जो 175 प्रजाति के हैं) एवं पथतट वृक्षारोपण से संबंधित कार्य का रख–रखाव।				
	1. आर्बोरेटम स्थित पौधों की कोड़नी–निकौनी, प्रदर्श, प्रसार एवं लेबलिंग कार्य हेतु सभी प्रजातियों के लिए साईन बोर्ड की मरम्मति तथा रंगरोगन आदि।	303	77,958.87	60,000.00	1,37,958.87
	2. निरीक्षण पथ तट के किनारे रोपित पौधे लगे हेज (Hedge) आदि का कोड़नी–निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव (कम्पोस्ट खाद, कीटनाशक आदि का छिडकाव), लगाये गए पौधों में जमीन से उपर मुख्य तना को चुना से रंगना एवं पुताई कार्य।	273	70,240.17	12,000.00	82,240.17
	शोध प्रदर्श केन्द्र में अन्य कार्य				
	1. शोध केन्द्र गढ़खटंगा में फलदार प्रजाति के मातृ वृक्षों, औषधीय, क्लोनल पौधों के मातृ वृक्ष एवं बांस के विभिन्न प्रजातियों के पौधों का भंडारण सह सैम्पुल प्लॉट में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	730	1,87,821.70	25,000.00	2,12,821.70
	2. बैम्बु सेटम का रख–रखाव (0.5 हे0)	153	39,365.37	10,000.00	49,365.37
	3. कॉयिक प्रवर्धन (vegetative propogation) उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	225	57,890.25	0.00	57,890.25
	4. बीज प्राप्ती हेतु बीज एवं कॉयिक पवर्धन से तैयार वृक्ष उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	225	57,890.25	0.00	57,890.25
	5. गेतलसूद स्थित पौधशाला का रख–रखाव, सुरक्षा एवं साफ–सफाई । (एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए)	365	93,910.85	0.00	93,910.85
	6. शोध परिसर मे लैण्ड स्केपिंग क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि का रख–रखाव। (एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए)	365	93,910.85	50,000.00	1,43,910.85
	7 शोध केन्द्र की सुरक्षा – 3 , सफाई कर्मी – 1, पंजीयों के संधारण एवं देख–रेख हेतु –1 कुल – (5 मजदूर पूरे वर्ष) ।	1825	4,69,554.25	10,000.00	4,79,554.25
	8. स्ट्रीट लाईट, टूल्लू पम्प, समर्शेबल पम्प, प्रशासनिक भवन का रंगरोगन, लाईटस आदि का वार्षिक रख–रखाव		0.00	80,000.00	80,000.00
	9. जेनरेटर,पम्प सेट आदि का संचालन, ईंधन सहित।		0.00	70,000.00	70,000.00
	10. पौधशाला उपकरण सामग्री की व्यवस्था।		0.00	20,000.00	20,000.00
	11. तीन एग्रोनेट हाउस का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य।		0.00	1,00,000.00	1,00,000.00
	12. दो पॉली हाउस का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य,।		0.00	75,000.00	75,000.00
	13. शोध प्रतिवेदन का छायांकन, मुद्रण, प्रकाशन।		0.00	15,000.00	15,000.00

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/283 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94035	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	454,600.00 रुपये चार लाख चौपन हजार छः सौ
2	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94036	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	909,200.00 रुपये नौ लाख नौ हजार दो सौ

योग: 1,363,800.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख तीरसठ हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

 59.97.145.181 RANCH Run Date: 26/3/2021

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/283 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94037	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	227,300.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
4	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94038	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	909,200.00 रुपये नौ लाख नौ हजार दो सौ
5	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94040	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	883,400.00 रुपये आठ लाख तिरयासी हजार चार सौ

योग: 2,019,900.00

क्रमिक योग: रुपये तैतीस लाख तिरयासी हजार सात सौ 3,383,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/283 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94043	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	78,500.00 रुपये अठहत्तर हजार पॉच सौ
7	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94044	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	157,000.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार
8	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94045	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	39,300.00 रुपये उनचालीस हजार तीन सौ

योग: 274,800.00

क्रमिक योग: रुपये छत्तीस लाख अठावन हजार पॉच सौ 3,658,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 59.97.145.181 Run Date: 26/3/2021

पत्र संख्या - 01/YB-34/2021/283 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94048	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	157,000.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार
10	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	94053	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	207,600.00 रुपये दो लाख सात हजार छः सौ

योग: 364,600.00

क्रमिक योग: रुपये चालीस लाख तेइस हजार एक सौ 4,023,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

 53.97.145.181 Run Date: 26/3/2021